कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर–342001

email- jdajodhpur/yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No 0291-2612096/265615-7 Fax 0291-2612086

Upload

क्रमांकः F37.(3)/नि.आ./ जो.स्त.स./का.वि./2022/4773

दिनांकः– 25/11/2022

–:कार्यवाही विवरण:–

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के अधिसूचना कमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 25.11.2021 के द्वारा गठित जोन स्तरीय समिति के जोन दक्षिण बैठक दिनांक 02.11.2022 को उपायुक्त (दक्षिण) की अध्यक्षता में उनके कक्ष में सपन्न हुई जिसमें उपस्थित सदस्य/अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ–1 पर संलग्न है। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा पर लिये गये निर्णय निम्नानुसार है:–

एजेण्डा संख्या	विषय
01.	राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 186 रकबा 29402.51 वर्गगज (सर्वे मानचित्र अनुसार) भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया–

1. प्रश्नगत भूमि में कोई वाद लम्बित नही होने व अवाप्ति शाखा में विचारधीन नही होने की सुनिश्चितता जोन स्तर से की जानी होगी।
2. प्रश्नगत भूमि मे सरकारी भूमि सम्मिलित नही हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
3. उक्त ले–आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नही है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोडे जाने होगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
4. ले–आउट प्लान की समस्त सडकों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावे।
5. प्रश्नगत भूमि के दक्षिण दिशा में स्थित सडक का मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 60 मीटर रखा जाना होगा।
6. प्रश्नगत भूमि व समिप में एच.टी लाईन के संबध में टिप्पणी जोन स्तर से प्राप्त किया जावे।

एजेण्डा संख्या	विषय
02.	राजस्व ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 292 रकबा 5856.81 वर्गगज (सर्वे मानचित्र अनुसार) भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श प्रकरण में विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार वाद लम्बित है अतः प्रकरण में उक्त के कम में जॉच कर व मौके पर कैनाल व जोनल प्लान अनुसार 18 मीटर सडक का सर्वेप्लान पर अंकन करते हुए नवीन सर्वे प्लान सर्वेयर से प्राप्त करने के उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठन में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या	विषय
03.	राजस्व ग्राम सांगरिया के खसरा संख्या 180 रकबा 9675.71 वर्गगज (सर्वे मानचित्र अनुसार), भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया–

1. प्रश्नगत भूमि में कोई वाद लम्बित नही होने व अवाप्ति शाखा में विचारधीन नही होने की सुनिश्चितता जोन स्तर से की जानी होगी।
2. प्रश्नगत भूमि मे सरकारी भूमि सम्मिलित नही हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
3. उक्त ले–आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नही है। अतः पट्टा विलेख जारी करते

समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोडे जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।

4. ले–आउट प्लान की समस्त सडकों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावे।

5. प्रश्नगत भूमि व समिप में एच.टी लाईन के संबध में टिप्पणी जोन स्तर से प्राप्त किया जावे।

एजेण्डा संख्या	विषय
04.	राजस्व ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 347, 347/1 से 347/6 का कार्यालय जोविप्रा जोधपुर द्वारा जारी पट्टा अनुसार आवासीय भूखण्ड संख्या 5 बनाप 722.22 वर्गगज, 5–ए बनाप 722.22 वर्गगज, 6–ए बनाप 722.22 कुल बनाप 2166.66 वर्गगज का पुनर्गठन करने बाबत्।

निर्णय :–समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार विमर्श प्रकरण में मौका रिपोर्ट अनुसार सैटबेक क्षेत्र में दशाये गये निर्माण के संबंध में आवेदक को सूचित किया जावें। आवेदक से उक्त के क्रम में स्पष्टीकरण प्राप्त होने के उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या	विषय
05.	राजस्व ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 127 पूर्व में अनुमोदित योजना में संशोधन कर ले–आउट प्लान के संबंध मे।

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अनुमोदित ले–आउट प्लान में दशाये गये सुपरइम्पोजिशन व आवेदित भूमि के संर्दभ में जॉच कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।

तहसीलदार (दक्षिण) जोधपुर विकास प्राधिकरण	सहायक नगर नियोजक (दक्षिण) जोधपुर विकास प्राधिकरण	अधिशाषी अभियन्ता (दक्षिण) जोधपुर विकास प्राधिकरण	उपायुक्त (दक्षिण) जोधपुर विकास प्राधिकरण

क्रमांकः F37.(3)/नि.आ./ जो.स्त.स./का.वि./2022/ 4774-4779 दिनांकः– 25/11/2022

प्रतिलिपी :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
3. निदेशक (आयोजना) महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
4. उपायुक्त दक्षिण, जो.वि.प्रा., जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिशाषी अभियन्ता ~~पूर्व~~ द, जो.वि.प्रा., जोधपुर
6. तहसीलदार दक्षिण, जो.वि.प्रा., जोधपुर

सहायक नगर नियोजक (दक्षिण)
एवं सदस्य सचिव, जोन स्तरीय समिति
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर